बी.बी. प्रसून भी हाई कोर्ट जज हो गये

दिनांक 13 जून को शपथ लेकर पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के जज बनने वाले भारत भूषण प्रसून वर्ष 2011 में फ़रीदाबाद के सैशन जज थे। उनके शपथग्रहण की खबर सुन कर 18 फ़रवरी 2011 का वह सारा दृष्य आंखों के सामने आ गया जिसका वर्णन 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 मार्च 2011 अंक में प्रकाशित किया गया था। उसी को ज्यों का त्यों पुन:प्रकाशित किया जा रहा है।

सब जज की शिकायत पर सैशन जज का तबादला

जस्टिस दया के पैर पकड़ना भी काम न आया

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 18 फ़रवरी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जज दया चौधरी स्थानीय होटल मैगपाई में कुछ देर के लिए रुकी थी। चापलूसी की औपचारिकता निभाने सैशन जज भारत भूषण प्रसून भी अपने लाव-लश्कर के साथ वहां पहुंचे। बंद कमरे के भीतर प्रसून ने जज साहिबा से क्या कहा, उसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जब वे पोर्च में खड़ी अपनी कार में बैठ गईं तो सैशन जज साहब हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। जज साहिबा ने कई बार कहा कि बहुत हो गया, हाथ नीचे करो। इस पर उन्होंने हाथ नीचे किये तो ऐसे कि घुटनों के बल झुक कर मैडम के पैर ऐसे पकड़ लिए कि छोड़े ही नहीं। मैडम बार-बार कहती रही कि ...क्या कर रहे हो...छोड़ो...पैर छोड़ो...। करीब आधा मिनट तक चला यह दृश्य वहां मौजूद कुछ मैजिस्ट्रेटों, अदालत के कर्मचारियों के अलावा मैगपाई के कर्मचारियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के अलावा तीन पत्रकारों ने भी देखा। बेशर्मी की इंतहा देखिये कि जिस जज साहिबा के इस तरह सार्वजनिक तौर से पैर पकड़े गये, वह तो शर्मसार हुई जा रही थीं और ज़िले के सैशन जज को अपने इस व्यवहार पर कतई कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी।

उक्त दृश्य के पीछे की कहानी खोजने पर इस संवाददाता को पता चला कि ज़िला अदालत में प्रथम तैनाती पर आये सब जज सतीश कुमार की शिकायत पर हाई कोर्ट ने सैशन जज डॉ. भारत भूषण प्रसून का तबादला फ़िलहाल सोनीपत तथा सतीश कुमार का तबादला हांसी कर दिया है, लेकिन सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच अभी जारी रहेगी। जांच के बाद ही तय होगा कि किस को क्या प्रसाद मिलता है। भरोसेमंद सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कि

बी.बी. प्रसून : न्यायपालिका का एक चेहरा यह भी

सतीश कुमार की अदालत में चल रहे किन्हीं दो मुकदमों में सैशन जज ने दखल दे कर कुछ मनचाहा कराना चाहा जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च न्यायालय में कर दी। सूत्रों के मुताबिक 25 जनवरी को सतीश कुमार मुख्य न्यायाधीश से मिलने चंडीगढ़ गये थे, लेकिन उन्होंने खुद मिलने की बजाय सब जज को फ़रीदाबाद के प्रशासनिक जज ए के मित्तल से मिलने को कह दिया। मिलने पर इन्होंने मित्तल साहब को यह भी बताया कि सैशन जज ने यह सिफ़ारिश सीनियर सब जज विमल सपरा की मौजूदगी में की थी। मित्तल साहब ने सतीश को तो वहीं रोक लिया और सैशन जज व सपरा को अगले ही दिन 26 जनवरी को अपने यहां बुला लिया। तीनों को आमने-सामने कर सुना तो सपरा साहब ने सतीश की बात को झुठला दिया। जाहिर है, इससे नये-नये मैजिस्ट्रेट भर्ती हुए सतीश कुमार काफ़ी संकट में आ गये। सैशन जज ने ही उनकी वार्षिक रिपोर्ट लिखनी होती है, जिससे सारी नौकरी पर संकट के बादल छा जाना स्वाभाविक है।

इससे निपटने के लिए सतीश ने एक उपाय सोचा। दोपहर एक से डेढ़ के बीच तमाम सब जज सीनियर सब जज सपरा के कमरे में चाय-पानी आदि के लिए बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन सतीश तैयारी के साथ इस चाय-पानी मीटिंग में गये। जब सब लोग़ चले गये तो सतीश ने सपरा साहब से कहा कि आपके सामने जब सारी बात हुई थी तो आपने मुझे मित्तल साहब के सामने डिच क्यों किया? इस पर सपरा ने अपनी जिस मजबूरी को स्वीकार किया, वह सब सतीश की जेब में रखे मोबाइल में टेप हो गई। इसकी सीडी बना कर सतीश ने मित्तल साहब व मुख्य न्यायाधीश को भेज दी। इस पर 2 व 3 फ़रवरी को पुन: तीनों को हाई कोर्ट, चंडीगढ़ बुलवाया गया।

इस बार सारी बात मुख्य न्यायाधीश की समझ में आ चुकी थी जिसके फलस्वरूप उन्होंने तबादलों व पूरी जांच कार्यवाही के आदेश जारी किये। जानकारी रखने वाले बताते हैं कि प्रसून जो न्यायमूर्ति दया चौधरी के पांव पकड़ रहे थे, वह तबादला रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि इसके बाद अगली कार्यवाही होने का उन्हें डर है। विदित है कि हाई कोर्ट में महत्त्वपूर्ण फ़ैसले फुल कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट के तमाम 40 जजों के हाऊस द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में प्रसून जैसे लोग़ अपनी खाल बचाने के लिए कुछ जजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। अब देखना है कि प्रसून कहां तक सफ़ल हो पाते हैं?

इस बाबत सैशन जज साहब से जानकारी प्राप्त करने हेतु जब उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद मिला। श्री सपरा से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह उनका इंटर्नल मामला है, इस पर वे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हांसी जा चुके सब जज सतीश कुमार से जब मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उल्टे यह और पूछा कि उनका नंबर कहां से मिला?

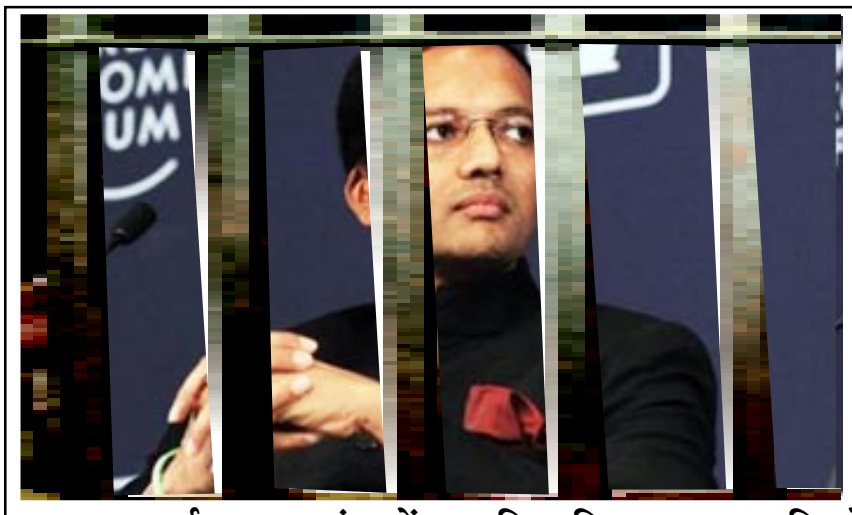

'मज़दूर मोर्चा' की ख़बर का असर

16-31 मई 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था कि देश-विदेशों में लूट मचाने वाले कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल व राबर्ट वाड्रा को जेल में होना चाहिए। नवीन जिंदल तो जेल के दरवाजे तक पहुंच ही गए हैं, अब देखना है कि राबर्ट वाड्रा कब तक बचते हैं।

'रोम जल रहा है औरा नीरो बंशी बजा रहे हैं'

यह प्रसिद्ध उक्ति इस समय भारत के शासकों-प्रशासकों के लिये बिल्कुल सटीक बैठती है। इस समय भारत का एक राज्य महाराष्ट्र सूखे की मार झेल रहा है। उसके 17 जिले सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में सूखे से करीब 11801 गांव तथा 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं और 3337 लोग इस सूखे से आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए हमारे देश का शासक वर्ग आई.पी.एल. की बंशी बजा रहा है। उसकी वंशी के शोर में प्यासे महाराष्ट्र के किसानों-औरतों-बच्चों और जानवरों की आवाजें खो जा रही है। मीडिया भी आई.पी.एल. के सुर में सुर मिला रहा है क्योंकि आई.पी.एल. की कमाई की मलाई में खुरचन चाटने का मौका उसे भी मिल रहा है।

महाराष्ट्र के 17 जिलों में पड़ा यह सूखा पिछले 40 सालों का भयंकर सूखा है। खबर यह भी आ रही है कि इसने सन् 1972 में पड़े सूखे का रिकार्ड भी तोड़ दिया है। सूखे से प्रभावित 11,801 गांवों में से 1,779 गांवों में पानी की जबरदस्त किल्लत है। मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सूखे से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में पड़ा यह सूखा वास्तव में पूंजीवाद कृत आपदा है। यह सूखा शासक वर्ग की अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार और असमान जल वितरण प्रणाली को दिखाता है। महाराष्ट्र राज्य में 3,712 छोटे-मध्यम और बड़े बांध हैं जो पूरे देश में किसी भी राज्य से सबसे अधिक हैं। ये बांध प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं और बिजली परियोजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किये गये थे। 2009-10 तक इन प्रोजेक्टों से मात्र 17.9 प्रतिशत क्षेत्र को ही सिंचित किया जा सका। सबसे आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2000-10 में महाराष्ट्र राज्य में सिंचित क्षेत्र 17.8 प्रतिशत था और 10 वर्षों में इसमें मात्र 0.1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि इन 10 वर्षों में इन बांध प्रोजेक्टों पर 70,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर एण्ड पीपुल (संदर्प) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सन् 1972 का सूखा एक प्राकृतिक विपदा थी लेकिन महाराष्ट्र का वर्तमान सूखा जल कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, जल प्रधान फसलों को बढ़ावा देने और जल प्रबंधन और सूखे से निपटने के लिये दीर्घकालिक नीति के अभाव को दिखाता है। एसएएनडीआरपी की विश्लेषण रिपोर्ट बताती है कि इन सारी चीजों ने महाराष्ट्र के वर्तमान सूखे को सन् 1972 के सूखों से बड़ा बना दिया और इसको मानवकृत विपदा में तब्दील कर दिया। सन् 1972 से अब तक इन 40 सालों में इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में महाराष्ट्र सरकार ने बड़े बांध बड़ी संख्या में बनाए हैं। इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल भी खूब होती है। जिसके लिये पानी की अधिक मात्रा प्रयोग होती है। इन 17 सूखा प्रभावित जिलों में से 12 जिलों में राज्य की 79.5 फीसदी चीनी का उत्पादन होता है। पूरे महाराष्ट्र में देश का 35.3 प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में चीनी मिलें भी बहुतायात हैं जो या तो उद्योगपतियों की है या शरद पवार-नितिन गडकरी जैसे राजनेताओं की। चीनी उद्योग से जुड़े शराब उद्योग में भी पानी का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। सरकार की इन जल प्रधान फसलों और उद्योगों को सूखा प्रभावित इलाकों से बाहर रखने या इन पर नियंत्रण रखने की कोई इच्छा नहीं है।

विश्लेषण रिपोर्ट सन् 1972 और सन् 2012 के वर्ष के आंकड़ों की भी तुलना करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि 17 सूखा प्रभावित जिलों में सन् 2012 में लगभग 50 प्रतिशत कम बारिश हुई लेकिन सन् 2011 में औसत से अधिक बारिश हुई और सभी बांध लबालब भरें थे जबकि सन् 1972 में इन 17 जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई और सन् 1971 में भी कम बारिश हुई थी।

अब बात आई.पी.एल की। फटाफट क्रिकेट के नए संस्करण आई.पी.एल.ने भद्र लोगों के खेल 'क्रिकेट' को भद्रता से मुक्त कर दिया है। पैसा, ग्लैमर, अश्लीलता, फूहड़पन, शराब ने इस खेल और खिलाड़ियों को बिकाऊ माल बनाकर तथाकथित सभ्य पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया है। अब पूंजीपति घोड़ों की रेस की तरह इनकी बोली लगाते हैं, आपस में इनकी बंदरबांट करते हैं और इनसे मुनाफा कमाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी अपने देश की ओर से खेलने के समय अपने को अनफिट दिखा देता है और आई.पी.एल. में वह बिल्कुल फिट हो जाता है अर्थात् देश जाए भाड़ में, पैसा 'खुदा' है।

अब महाराष्ट्र में पड़े सूखे का आई.पी.एल. से क्या सम्बंध है? आई.पी.एल. के मैच में एक मैदान को प्रतिदिन 60,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। आई.पी.एल. का यह तमाशा 50 दिन चलेगा। इस प्रकार करीब 30 लाख लीटर पानी केवल एक मैदान पी जायेगा। महाराष्ट्र में 36 दिनों तक आई.पी.एल. चलेगा और तीन मैदानों पर मैच होगा। इस प्रकार वहां करीब 21.6 लाख लीटर पानी एक मैदान के लिये जरूरी होगा। इसी प्रकार आई.पी.एल. के एक मैच में जितनी बिजली खर्च होगी उतने में 2200 घर रोशन हो जायेंगे। इस प्रकार आई.पी.एल का सम्बंध केवल महाराष्ट्र से नहीं है बल्कि भारत के उस प्रत्येक घर से है जो जीवन के लिये आवश्यक चीजों-रोटी और पानी से महरूम हैं और जिसकी मेहनत की लूट से यह आई.पी.एल. का तमाशा चल रहा है। प्रकृति से प्राप्त अन्य नि:शुल्क उपहारों जैसे (हवा, पेड़-पौधे, खनिज पदार्थ, सौर ऊर्जा आदि) की तरह जल भी हमें नि:शुल्क प्राप्त हुआ है। इन संसाधनो पर सम्पूर्ण मानव समाज का हक है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में इन नि:शुल्क संसाधनों पर भी पूंजीपतियों ने अपने निजी हितों तथा मुनाफे के लिये अपना कब्जा जमा लिया है। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पानी के व्यवसाय में भूजल का जबर्दस्त दोहन करने में लगी हुई हैं। और अरबों-खरबों का मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन यह जिसके दम पर हो रहा है? क्या विभिन्न सरकारों और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक पूंजीपतियों ने एक बड़ी आबादी और क्षेत्र को पेयजल से वंचित कर सूखे और अकाल की ओर नहीं ढकेला है? पानी की मांग करने वाले किसानों पर गोलियां चलाकर हत्याएं करने वाला शासक वर्ग किसकी सेवा कर रहा है?

आज जरूरत है देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे पूंजीपति वर्ग और उसकी सेवा और सुरक्षा में लगे शासक वर्ग के विरूद्ध संघर्ष की ओर संसाधनों पर कब्जा उसके वास्तविक मालिक मेहनतकश-किसान वर्ग अपने हाथ में लें। इसका रास्ता एक ही है कि यह मेहनतकश वर्ग इंकलाब के झंडे तले एकजुट होकर समाजवादी व्यवस्था के लिये संघर्ष करे।

-नागरिक